

विषय :-

छत्तीस-२ सचिवलय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

का विभाग

पंजी क्र0 145 दि0 14.01.2015

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त दिनांक 12.01.2015 द्वारा कार्यपालन यंत्री, खंड धार के प्रस्तावानुसार पारित निर्णय की प्रति संलग्न कर लेख किया है कि प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष रिट अपील दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का निवेदन किया गया है।

3/- तत्संबंध में प्रकरण में प्रथमतः कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। मान्य होने पर प्रारूप/स्व0प्रति अनु0/हस्ता0 प्रस्तुत।

अनु0/विधि0

20.1.15

प्रमुख/विधि

21/01/15
(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव, पी.एच.ई.

05

3
24.1.15

48/10

27.1.15

आयक क्र. 262-68
दिनांक 27-1-15

27-1-15

27-1-15
Smt. Beis-

648/DS/ONE
24.1.15

8m35
20/1/15

233/DS/ONE/2015
23.1.15

छत्तीस-२ सचिवालय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

मा.मंत्रीजी
लो.स्वा.या.

पूर्व पृष्ठ से:-

प्रकरण में प्रमुख अभियंता से प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश जारी कर दिया गया है। अतः प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष रिट अपील दायर करने की अनुमति हेतु मान. मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने पर विचार करना चाहेंगे।

अनुमोदित

कृपया "अ" प्रशासकीय अनुमोदन

28.11.15

1.9/c

Bm's
27/11/15

701/105/PHE
28.11.15
P.2.15

2/2

287/105/PHE/2015
29.11.2015
24/11/2015

फरार पर प्रशासकीय अनुमोदन हेतु
स्वी मान. मंत्रीजी की कार्रवाई
करना रहेंगे।

प्रमुख/सचिव

(डॉ. अश्विनी कुमार राय)
उप सचिव, पी.एच.डी.

मान. मंत्रीजी

प्रमुख/सचिव

2/2

2/2

(अश्विनी कुमार राय)
प्रमुख सचिव लो.स्वा.यां.वि.

कुसुम सिंह महंजरी
मंत्री

प्रमुख सचिव लो.स्वा.यां.वि.
सहायक सचिव लो.स्वा.यां.वि.
एवं प्रमोद्योग, विधि और विधायी कार्य,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (मध्य प्रदेश)

07/02/15
01.02.15

30/01/2015
04/02/2015

Shri Bani
09.02.15

133/10.16
30/11/2015

कमांक 145/2015/1/34

छब्बीस-२

विषय :-

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण
कमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल
गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट
अपील दायर करने के संबंध में।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर प्रकरण में प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त
कर लिया गया है। अतः प्रकरण कमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013
श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित
निर्णय दिनांक 09.10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय
खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष रिट अपील दायर करने की अनुमति
जारी किये जाने हेतु कृपया नस्ती विधि विभाग को अंकित करना
चाहेंगे।

अनु03अधि0

09.02.15

विधि विभाग

09.02.15
(श्री. अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव, पी.एच.ई.

आदेश की प्रति नस्ती पर रखकर

भेजित है।

27.2.15

(रजनी चैवड़ा)
उप सचिव, विधि

होम तालाब यंत्रिकी विभाग

28.2.15

11-2-15

1373

28.2.15

11-2-15

779/DS/PME
9.2.15

9.2.15

165/2015
10/2/15
च. ओ. क.
दिनांक

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :-

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण
क्रमांक डब्ल्यूपी० 11962/2013 श्री बाबूलाल
गेहलोत विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट
अपील दायर करने के संबंध में।

का वि

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर विधि विभाग द्वारा जारी अनुमति के
अनुक्रम में प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किये जाने हेतु
प्रारूप/स्व०प्रति अनु०/हस्ता० प्रस्तुत है।

अनु०आधि०

02.03.15

Bunis
2/3/15

48/50

02.03.15
03.03.15D
03.03.15

smiBair

525-26
3-375

पंजी क० 1000 दि० 24.03.2015

पंजी क० 1488 दि० 01.05.2015

कृपया विचाराधीन पत्रों का अवलोकन करें।

2/ कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार से
प्राप्त पत्र दिनांक 17.03.2015 द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी० 11962/2013
श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक
09.10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष
दिनांक 13.03.2015 को रिट अपील क० 102/2015 दायर किया जाकर
अवगत कराया गया है।

3/ कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार से
प्राप्त पृ०पत्र दिनांक 25.04.2015 द्वारा रिट अपील क० 102/2015
म०प्र०शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक
18.03.2015 के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका
(एस०एल०पी०) दायर करने की अनुमति चाही गई है। शासकीय अधिवक्ता
क० गिनी रविन्द्रन द्वारा अभिमत विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०)
दायर किये जाने का मत दिया गया है।

P-31/c

P-47/c

P-32/c

P-53/c

P-59/c

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

मैत्री
डॉ. स्वा. या.
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

4/ विषयांकित प्रकरण में याचिकाकर्ता श्री बाबूलाल गेहलोत द्वारा समयमान वेतनमान एवं 24 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय कमोन्नति का लाभ देने से संबंधित है।

5/ अतः प्रस्तावित है कि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का परीक्षण कर अभिमत सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियंता को अंकित करना चाहेंगे।

अनु0अधि0

Bm
11/5/15

कृपया उपर्युक्त कार्य का अवलोकन करना चाहेंगे।

21.- रिट अपील क्र. 102/2015 में

भा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर परिसर

निर्णय 18.10.2015, जिसके तहत रिट अपील 159-64/L

रखा रित्त भी जा चुकी है। इस निर्णय के

विरुद्ध भा. सर्वोच्च न्यायालय में विशेष

अनुभूति माचिका (SLP) दायर किये जाने

के संबंध में उप महाधिवक्ता द्वारा

अभिमत दिया गया है अतः कार्यपालन

मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड धार

के प्रस्तावानुसार अभिमत सहित प्रस्ताव

भेजने हेतु कृपया नस्ली प्रमुख अभियंता

को अंकित करना चाहेंगे।

प्रमुख अभियंता

प्रमुख अभियंता

11.5.15

(डॉ. अमिताभ अग्रवाल)
जय सचिव, पी.एच.ई.

SE(LAW)

18/5

ETWC

12/5/2015

AE(law)

11/5/15

Shachang
14/5

156/DS/PHF
11/5/15

573
11-5-15

279
18-5-2015
मैत्री/काजीराम/डबल

विषयः—

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

विषयाकित प्रकरण में कार्यपालन यंत्री खंड धार की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता मिस मिनी रविन्द्रन के दिनांक 20.4.15 के मतानुसार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.3.15 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त करने एवं कार्यपालन यंत्री खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. 3751 दिनांक 15.5.15 से शासन से निवेदन किया गया है ।

प्रमुख अभियंता
26/5/15

प्रमुख सचिव महोदय
लो०स्वा०यां०वि०

2
275 15

Qaythi
28 Oct 15

Sk
28/5

Sm. Ball
29.5.15

छव्वीस-२ सचिवालय

1673/Dislike
28/6/15

क्र.सं. 1392
दिनांक 22/07/2015
319
/सह/ता.समा.नि. 6284 No. /FILE/E-IN-CIFUS
27-5-2015 dated

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण
क्रमांक डब्ल्यूपी० 11962/2013 श्री बाबूलाल
गेहलोत विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट
अपील दायर करने के संबंध में।

का विभाग मा. मं. वि.
PHE

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क्र० 1760 दि० 22.05.2015

पूर्व पृष्ठ पर प्रमुख अभियंता की टीप एवं विचाराधीन
पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ प्रमुख अभियंता द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी विभाग, खंड धार की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता
कु० मिनी रविन्द्रन द्वारा अभिमत के दिनांक 20.04.2015 के
मतानुसार माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर की युगलपीठ
के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका
(एस०एल०पी०) दायर की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त करने एवं
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को
प्रगारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु उनके पत्र दिनांक 15.05.2015
द्वारा निवेदन किया गया है।

3/ अतः प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तावित रिट अपील क्र०
102/2015 म०प्र० शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलोत में
युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा० सर्वोच्च
न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने
हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड धार को
प्रगारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। तदनुसार मा० प्र०
प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनु० अधि०

28/5

माननीय अधिवक्ता द्वारा रिट अपील
क्र. 102/2015 श्री मा. उच्च न्यायालय द्वारा
परिणति मिलान दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध
SLP दायर किये जाने का अभिमत
दिया गया है। तदनुसार पूर्व पृष्ठ पर
प्रमुख अभियंता के प्रस्तावित मा०
अनुसार कार्यपालन यंत्री को नियुक्त
आदेश जारी।

मा०

अनुमानित 'A' अनुमानित कार्यवाही से जाना
प्रस्तावित हो गया अनुमोदनार्थ।

05.06/15

SJS
05/06/15D
4.6.15

Shri Bair

1262-63
4-672

04/06/15
4.6.15

छब्बीस-२ सचिवालय

विषयः-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू०पी० 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में। (CSL की प्रकृति)

का विभाग प्र. मं. वि.
प. म. वि.

पूर्व पृष्ठ से:-

प्रमुख अभियंता के प्रस्तावानुसार प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां.वि. खंड, धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अतः रिट अपील क्र० 102/2015 म० प्र० शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलोत में मान्. उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर की युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस.एल.पी.दायर किये जाने हेतु मान्. मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

~~અનુઃઆધેઃ~~

कृपया 'A' प्रश्नावली में अनुभाग A में

$$\frac{Bun's}{5 \mid 6 \mid 15}$$

प्रमुख सचिव

માત. મંજીજી

06/06/15
(डॉ. आनितान अयल्लो)
उप सचिव, पी.एच.ई.

अश्विनी कुमार राय
प्रमुख सचिव, ला.स्वा.या.पि

(कुसुम सिंह महदले)
मंत्री

पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण,
मछली कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग,
विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (म.प्र.)

मनसी आवक रु. 417/-
मुं पुराण प्रक. व. वि. कु. प्रा. वि. त्त. सा. ग. 28/15
आवक दिनांक 09-06-15
जावक दिनांक 10-06-15

5m: Baiss
11.6"15

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0पी0 11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने के संबंध में। ~~CSC की सुनवाई~~

him
का वि

पूर्व पृष्ठ से:-

पूर्व पृष्ठ पर प्रकरण में मान्. मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अतः रिट अपील क्र0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य विरुद्ध बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस0एल0पी0) दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

अनु0आधे0

VS

0/

विधि विभाग

11.6.15

12.6.15

व्याह

(~~वि. विधि विभाग~~)
जय सिंह, पी.एच.ई.

आदेश की उति जारी पर रत कर प्रेषित है।

(~~अभिमत मिति~~)
अतिरिक्त सचिव, विधि

होन स्वायत्त चोप्रीकी विभाग

2.7.15

P-105/C

556
17.6.15

299

1/6/6

2.7.15

1832/DS/PMR
12/6/15

8.7
11/6/15

709/2015
15/6/2015

24/6/15

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण
क्रमांक डब्ल्यू0ए0 102/2015 म0प्र0 शासन एवं
अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में ~~स्टि~~ ^{5.6.18} अपील
दायर करने के संबंध में।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

नस्ती पर अंकित विधि विभाग के पत्र दिनांक 01.07.2015 का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ विभाग द्वारा रिट अपील क्र० 102/2015
म०प्र०शासन व अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के
आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में
विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने की अनुमति
विधि विभाग से चाही गई है।

3/ विधि विभाग द्वारा प्रकरण डब्ल्यू.पी. क.
11962/2013 श्री बाबूलाल गेहलोत विरुद्ध मप्रशासन व अन्य
के संबंध में अनुमति जारी की गई है।

अतः प्रस्तावित है कि नरती पुनः विधि विभाग को भेजी जाकर रिट अपील क्र० 102/2015 म० प्र० शासन व अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस०एल०पी०) दायर करने की संशोधित अनुमति शीघ्र जारी किये जाने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।
अन०अधि०

~~उपलब्धता वित्तिय स्थिति के तालिका~~

मैं खिन्नेवाला छोड़ना नहीं चाहते जाने
के लक्ष्य पर नहीं खिन्ने छोड़ना है
खिन्ने करना - जाके है।

~~UF~~
~~DS~~

विश्व विभाग

2-7-15

SKL
2.7.15

Omasti

(~~डॉ. अश्विनी 7/1/20~~)
 डा. अश्विनी पी. ए. ए.

Buns
2/7/15

197

2019
6-7-18

6-7-15

F.16-46/2015/1/34

क्रमांक 145/2015/1/34

मंत्री

लो. स्वा. या.

का विभाग

छव्हीस-२ सचिवालय

विषय:-
विषय :

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण
क्रमांक डब्ल्यू0ए0 102/2015 म0प्र0 शासन एवं
अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में रिट अपील
दायर करने के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

संशोधित आवेदन की प्रति नाली
पर रख कर प्रेषित है।

(अभिमत मित्र)
अतिरिक्त सचिव, विधि

लोक स्थापना यंत्रिणी विभाग

10.07.15

Shri Bais
10.07.15

रिट अपील क्र0 102/2015 म0प्र0शासन व अन्य
विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में युगलपीठ के आदेश दिनांक
18.03.2015 के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति
याचिका (एस0एल0पी0) दायर करने के संबंध में उनके पत्र दिनांक
01.07.2015 के संदर्भ में संशोधित पत्र दिनांक 08.07.2015 जारी
कर दिया गया है।

अतः विधि विभाग द्वारा जारी अनुमति के अनुक्रम में
उक्त दोनों पत्रों की छायाप्रति प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को
तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु भेजे जाने वाले पत्र का
प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुमोदित

रूपमा अनुमोदित

13.7.15

14.7.15

15.07.15

16.7.15

17.7.15

Shri Bais
16.7.15

आदक क्र.:

दिनांक:

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-

माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू0ए0 102/2015 म0प्र0 शासन एवं अन्य विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में एस0एल0पी0 दायर करने के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

दृष्टांत एवं दृष्टांत पर इसे अनुमोदित आदेश
नी त्वच्छ उतिपा बलाशतार्थ उत्तुन ही
~~अनुमोदित~~

~~पु~~
~~स~~

~~पु~~
17.7.15

~~पु~~
17.7.15

~~पु~~
17.7.15

मंत्रि
विश्वनाथ
क. भाग

17.7.15
Shri Bvir

बादक नं. 1634-35
दिनांक 17-7-15

एफ 16-46/2015/1/34

मंत्री
लो. स्वा. यौ. वि.
का विभाग

विषय :

विषय:-

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सिविल) सी.सी. 20399/2015 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू एस0एल0पी0 दायर करने की अनुमति के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

पंजी क0 836 दिनांक 26.02.2016

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/ प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 19.02.2016 में लेख किया गया है कि श्री बाबूलाल गेहलोत को 24 वर्ष पूर्ण होने पर दो कमोन्नति का लाभ हेतु माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 11962/2013(एस) दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 में श्री विष्णुदास विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 24.07.2014 अनुसार समान हित लाभ देने के आदेश दिये गये हैं।

3/ विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में डब्ल्यू.ए. क्रमांक 102/2015 दायर की गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.03.2015 को खारिज कर दी थी।

4/ माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के प्रकरण डब्ल्यू.ए. क्रमांक 102/2015 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की युगलपीठ के पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी.(सिविल) सी.सी. 20399/2015 दायर की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2015 को खारिज कर दिया गया है।

5/ प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के स्थाई शासकीय अधिवक्ता श्री अर्जुन गर्ग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने का अभिमत दिया गया है।

6/ प्रमुख अभियंता द्वारा प्रकरण में कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता के मतानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दिये जाने एवं कार्यपालन यंत्री, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता के मतानुसार एस. एल.पी.(सिविल) सी.सी. 20399/2015 में निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दिये जाने एवं कार्यपालन यंत्री, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अनु0अधि0

24.02.2016 कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा दिनांक 23.11.2015 के निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति दिये जाने एवं कार्यपालन यंत्री, खंड धार को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

P-7.0

P-9/c

P-145/c

P-141/c

P-142/c

‘अ’

Bm
29/2/16

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

विषय:-

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सिविल) सी.सी. 20399/2015 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री बाबूलाल गेहलोत में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरुद्ध रिव्यू एस0एल0पी0 दायर करने की अनुमति के संबंध में।

पूर्व पृष्ठ से:-

माना ३५५१ अनुमोदनाध उद्भूत है

DS

कृपया 'क' अनुमोदनाध।

स्व

03/03/16

प्रमुख सचिव

Quaith

मान. मंत्रीजी

(डा. अश्विनी कुमार राय)
उप सचिव, पी.एच.ई.

3
03/14

अश्विनी कुमार राय
प्रमुख सचिव, लो. स्वा. यां. वि.

कृपया लो. स्वा. यां. वि.

कुसुम सिंह

(कुसुम सिंह महर्ले)
मंत्री

पशुपालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
मनुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग,
विधि और विधायी कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (म.प्र.)

3
10/3/16

DS

us/60

Quaith

10/03/16

स्व

14/03/16

स्व

15.3.16

Shri Baci's
15.3.16

443/DS/PMH
4/3/16

331/2016
4/3/16
दिनांक - 4/3/16

नती आवक क्र. 302
मं. प्र. शा. प्र. म. वि. कु. शा. वि. लो. स्वा. यां. वि.
आवक दिनांक 08/03/2016
जांच दिनांक 09/03/16